प्रेस हेतु सूचना (प्रेस विज्ञप्ति सं. 115/2026)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

'एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024' में मसौदा संशोधनों पर परामर्श पत्र पर टिप्पणियाँ तथा प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का विस्तार।

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2026: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 'एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024' में प्रस्तावित संशोधनों पर परामर्श पत्र 05 अगस्त, 2026 को जारी किया था। हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 26 अगस्त 2026 और 7 सितंबर 2026 निर्धारित की गई थी।

2. इस संबंध में, टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की तिथि बढ़ाने के लिए उद्योग संघों और हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः **02 सितंबर 2026** और **15 सितंबर 2026** तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

3. टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में adv-qos1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त जानकारी के लिए श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (सेवा गुणवत्ता-I) से adv-qos1@trai.gov.in अथवा +91-11-20907759 पर संपर्क किया जा सकता है।

25/08/2026

(हरिन्द्र कुमार)

सचिव, भादूविप्रा